परचा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निधि उड़सरिया आएएस

प्रकरण सं0 : 48/2025

दिनेशसिंह पुत्र चुनीराम जाति जाट निवासी गढडा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

:– वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा। :–प्रतिवादी

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुन्शीराम गोस्वामी व प्रतिवादी राजपैरोकार की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा गढड़ा के खाता सं0 221/138 के ख0स0 222 की 5.906 है0 में वादी के नाम 1233/5906 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसमें वादी का नाम लक्ष्मीनारायण पुत्र चुन्नीराम जाति जाट निवासी गढड़ा दर्ज है। जबकि वादी का सही नाम दिनेशसिंह पुत्र चुनीराम जाति जाट निवासी गढड़ा तहसील भादरा है। अतः रोही मोजा गढड़ा के खाता सं0 221/138 के ख0स0 222 की 5.906 है0 में वादी के नाम 1233/5906 हिस्सा वादभूमि में लक्ष्मीनारायण पुत्र चुन्नीराम जाति जाट निवासी गढड़ा के स्थान पर दिनेशसिंह पुत्र चुनीराम जाति जाट निवासी गढड़ा तहसील भादरा किए जाने की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद या जांच लक्ष्मीनारायण पुत्र चुन्नीराम जाति जाट निवासी गढड़ा के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था में लक्ष्मीनारायण पुत्र चुन्नीराम जाति जाट निवासी गढड़ा के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए लक्ष्मीनारायण पुत्र चुन्नीराम जाति जाट निवासी गढड़ा नाम ही प्रभावी माना जावेगा तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और भविष्य में कोई अन्य तथ्य प्रकट होता हो तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 25.05.26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

निधि उड़सरिया RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
भादरा जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) भादरा (हनुमानगढ़)